Government of India
Ministry of Railways
Railway Board

RBA No. 21/2023
GST Circular No. 06/2023

No. 2017/AC-II/1/6/ GST Main/Vol.IV

New Delhi, dated 13.07.2023

Principal Financial Advisor
All Zonal Railways/Production Units

Sub: Instructions w.r.t. Input Tax Credit (ITC) flagging of input services, input goods and capital goods for Production Units.

In order to ensure a proper digital system for capturing of GST Input tax Credit, it is important that the ITC flags, which are dependent on the end use of the inward supplies, are correctly captured. For the reference, the flags are explained below:

S. No.	ITC Flag	Description
1	T1	No ITC (Input goods or services used exclusively for non-business expense)
2	T2	No ITC (Input goods or services used exclusively for supplying exempt goods or services)
3	T3	No ITC (Input goods or services, ITC of which is blocked or restricted)
4	T4	Full ITC (Input goods or services used exclusively for supplying taxable goods or services)
5	C2	Partial ITC (Input goods or services used exclusively for supplying taxable as well as exempt supplies)

Instructions under specific circumstances **for the production units** with respect to **ITC flagging** of inward supplies, in case such inward supplies are used in **outward supply of goods or services only to Zonal Railways** are as under:

S No.	Nature of Outward Supply	ITC Flagging
1	Intra GSTIN supplies to zonal railways (i.e. supply to same GSTIN) **Note:** Supply of goods or	1. **Input Goods:** Used for outward supply of services of goods transportation or transportation of passengers should be flagged as T3. 2. **Input services:**Used for outward supply of

	services to same GSTIN is not a supply under GST.	services of goods transportation or transportation of passengers should be flagged as: a. **'T4'** if are used exclusively for supplying taxable goods or services. b. **'C2'** if are used for supplying taxable as well as exempt goods or services. c. **'T2'** if are used exclusively for supplying exempt goods or services.
2	Inter GSTINsupplies to Zonal Railways (i.e. supply to other GSTIN of Railways) **Note:**It may please be noted that **Inter-GSTIN outward supply of goods** by production units shall be treated as **supply of services** in view of S.No. 1(b) of Schedule II of the CGST Act, 2017 and thus exempt from levy of GST vide S.No. 8 of Notification No. 9/2017-Integrated Tax (Rate).	**1.Input Goods:** ITC for purchase of input goods used for inter-state outward supply of goods or services, should be flagged as **'T2'**. **2. Input services:** ITC for purchase of input services used for inter-state outward supply of goods or services, should be flagged as**'T2'**.

Kindly ensure the compliance of the above instructions in consultation with your local GST consultants.

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. MD, CRIS/Chanakya Puri

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

आरबीए सं. 21/2023
जीएसटी परिपत्र सं. 06/2023

सं.2017/एसी-II/1/6/जीएसटी मेन/वॉल्.IV नई दिल्ली, दिनांक : 13.07.2023

प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : उत्पादन इकाइयों के लिए इनपुट सेवाओं, इनपुट वस्तुओं तथा मुख्य वस्तुओं के इनपुट टैक्स क्रेडिट(आइटीसी चिह्नित करने से संबंधित निर्देश।

जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिकृत करने के लिए उचित डिजिटल प्रणाली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि आईटीसी फ्लैग, जो आवक आपूर्ति के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है, को सही तरीके से अधिकृत किया गया हो। उक्त संदर्भ हेतु, फ्लैग की व्याख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	आईटीसी फ्लैग	विवरण
1	टी1	कोई आईटीसी नहीं इनपुट वस्तु अथवा सेवाओं को गैर व्यवसायी व्यय के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा)
2	टी2	कोई आईटीसी नहीं (इनपुट वस्तु अथवा सेवाओं को छूट प्राप्त वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा)
3	टी3	कोई आईटीसी नहीं (इनपुट वस्तु अथवा सेवाओं, जिसका आईटीसी अवरुद्ध अथवा प्रतिबंधित कर दिया है)
4	टी4	पूरी आईटीसी (इनपुट वस्तु अथवा सेवाओं को कर योग्य वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा)
5	सी2	आंशिक आईटीसी (इनपुट वस्तु अथवा सेवाओं को कर योग्य के साथ साथ छूट प्राप्त आपूर्ति वाले वस्तुओं के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा)

विशिष्ट परिस्थितियों में **<u>उत्पादन इकाइयों के लिए</u>** आवक आपूर्ति हेतु **आईटीसी फ्लैगिंग** से संबंधित अनुदेश, कुछ ऐसे मामलों में जहां **<u>केवल</u> क्षेत्रीय रेलों पर वस्तु एवं सेवाओं का बाहरी निर्गम** आंतरिक आपूर्ति के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाता है, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	बाहरी निर्गम की प्रकृति	आईटीसी फ्लैगिंग
1	क्षेत्रीय रेलों को दिए गए इंट्रा जीएसटीआईएन आपूर्ति (अर्थात् समान जीएसटीआईएन आपूर्ति को दिया गया है) **टिप्पणी:** समान जीएसटीएन को वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति जीएसटी के अंतर्गत आपूर्ति नहीं है।	1. **इनपुट वस्तु**: वस्तु परिवहन अथवा यात्री परिवहन के सेवाओं के लिए बाहरी निर्गम का उपयोग टी3 के रूप में चिह्नित किया जाएगा। 2. **इनपुट सेवाए**: वस्तु परिवहन अथवा यात्री परिवहन के सेवाओं के लिए बाहरी निर्गम का उपयोग निम्न रूप में चिह्नित किया जाएगा : क. यद्यपि **'टी4'** कर योग्य वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा। ख. यद्यपि **'सी2'** कर योग्य के साथ साथ छूट प्राप्त वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा। ग. यद्यपि **'टी2'** छूट प्राप्त वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से उपयोग में लाया जाएगा।
2	क्षेत्रीय रेलों को दिए गए आंतरिक जीएसटीआईएन आपूर्ति (अर्थात् रेलवे का अन्य जीएसटीआईएन आपूर्ति को दिया गया है) **टिप्पणी**: कृपया ध्यान दिया जाए कि उत्पादन इकाइयों द्वारा **<u>वस्तुओं के बाहरी निर्गम वाली आंतरिक-जीएसटीआईएन</u>** को सेवा एवं वस्तु कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के क्र.सं. 1(ख) के अनुसार **<u>सेवाओं की आपूर्ति</u>** के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार अधिसूचना सं.9/2017-	**1. इनपुट वस्तु :** वस्तु अथवा सेवाओं के अंतर-राज्य बाहरी आपूर्ति हेतु उपयोगी इनपुट वस्तु के खरीद के लिए आईटीसी को **'टी2'** के रूप में चिह्नित किया जाएगा। **2. इनपुट सेवाएं :** वस्तु अथवा सेवाओं के अंतर-राज्य बाहरी आपूर्ति हेतु उपयोगी इनपुट वस्तु के खरीद के लिए आईटीसी को **'टी2'** के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

	इंटीग्रेटेड टैक्स(रेट) के क्रम सं. 8 के अनुसार जीएसटी लगाने से छूट दी गई है।	

कृपया अपने स्थानीय जीएसटी परामर्शदाता के परामर्श से उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. प्रबंध निदेशक, क्रिस/चाणक्यपुरी